झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विधिक याचिका संख्या 2715/2023

भारत संघ द्वारा सीबीआई, अमरनाथ ठाकुर, धनबाद द्वारा प्रतिनिधित्व

... याचिकाकर्ता

बनाम

हरिहर प्रसाद सिन्हा उर्फ एच.पी सिन्हा

... विरोधी पक्ष

कोरम: माननिय न्यायधीश श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अनिल कुमार, ए.एस.जी.आइ
सुश्री चंदना कुमारी, ए.एस.जी.आइ की ए.सी.
विरोधी पक्ष के लिए: श्री ए.के. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता

04/19.12.2023 याचिकाकर्ता - सी.बी.आइ के लिए उपस्थित श्री अनिल कुमार, ए.एस.जी.आइ एवं एकमात्र विरोधी पक्ष के लिए उपस्थित श्री ए.के. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना।

2. यह याचिका 19.06.2023 और 23.06.2023 को माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश III सह विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, धनबाद द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें सीबीआई द्वारा दायर याचिका जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत थी, को माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

3. श्री अनिल कुमार, ए.एस.जी.आइ, जो याचिकाकर्ता-सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं कि विपक्षी पार्टी के खिलाफ मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और धारा 13(1)(इ) के तहत दर्ज किया गया था। वे प्रस्तुत करते हैं कि विपक्षी पार्टी द्वारा जून 1980 से नवंबर 1993 के बीच अर्जित संपत्तियाँ ₹23,81,430/- की अनुपातहीनता में हैं, जिसे उन्होंने भ्रष्ट और अवैध तरीकों से अर्जित किया है और जिसे वे संतोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि सीबीआई ने इस मामले में कुल 30 गवाहों का परीक्षण किया है और गवाह पी.डब्लू 19 और 20 को चार्ज-शीट के साथ दस्तावेजों की सूची में शामिल कुछ दस्तावेजों के लिए पुनः बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया है, हालाँकि जांच अधिकारी के संबंध में प्रार्थना को अनुमति दी गई थी। वे बताते हैं कि 23.06.2023 को सीबीआई की ओर से जांच अधिकारी का परीक्षण करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसका आधार यह था कि जांच अधिकारी कुछ बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसे माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि इस न्यायालय द्वारा किसी भी तिथि को निर्धारित किया जाता है, तो सीबीआई उक्त गवाहों का परीक्षण करेगी। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि तीन गवाह महत्वपूर्ण गवाह हैं और इस दृष्टिकोण से, इस याचिका में की गई प्रार्थना को कृपया स्वीकार किया जाए और विवादित आदेशों को रद्द किया जाए।

4. श्री अनिल कुमार, ए.एस.जी.आइ के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध श्री ए.के.

कश्यप, विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर किया जा रहा है कि मामला पहले ही आगे बढ़ चुका है और पिछले 30 वर्षों से लंबित है और सीबीआई ने पहले ही 30 गवाहों का परीक्षण किया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि पी.डब्लू 19 और 20 का परीक्षण पहले ही वर्ष 2019 में किया जा चुका है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह स्पष्ट है कि कमी को भरने के लिए धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तर्क को मजबूत करने के लिए, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्वपन कुमार चट्टोपाध्याय बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया, जो **(2019) 14 एससीसई 328** में रिपोर्ट किया गया है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ 12 यहां नीचे उद्धृत किया गया है:

> *"12. जहाँ अभियोजन का साक्ष्य बहुत पहले बंद हो चुका है और गवाह के पूर्व में परीक्षण न करने के कारण संतोषजनक नहीं हैं, वहाँ विलंबित चरण में गवाह को बुलाना आरोपी के लिए बड़ा नुकसान पहुंचाएगा और इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, न्यायालय को इस प्रावधान के तहत गवाह के पुनः बुलाने के लिए लगातार याचिकाएँ दायर करने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।"*

इन आधारों पर, श्री एकश्यप .के., विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है और माननीय न्यायालय ने 19.06.2023 और 23.06.2023 के आदेश सही तरीके से पारित किए हैं।

5. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विपक्षी पार्टी ₹23,81,430/- की अनुपातहीन संपत्तियों के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है। पी.डब्लू 19 और 20 का परीक्षण पहले ही वर्ष 2019 में किया जा चुका है, हालाँकि, सीबीआई द्वारा पी.डब्लू 19 और 20 को पुनः बुलाने और आइ.ओ का परीक्षण करने के लिए याचिका दायर की गई थी और विवादित आदेश दिनांक 19.06.2023 के अनुसार, जहाँ तक पी.डब्लू 19 और 20 के पुनः बुलाने का संबंध है, उसे अस्वीकृत कर दिया गया है। हालाँकि, माननीय न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि आइ.ओ एक आवश्यक गवाह हैं और उक्त प्रार्थना को उस आदेश द्वारा अनुमति दी गई। आदेश दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से, माननीय न्यायालय ने उक्त आइ.ओ का परीक्षण करने के लिए अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया है और इसे अस्वीकृत कर दिया है।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 में अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि मूल्यवान साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने या दोनों पक्षों से जांचे गए गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने में किसी भी पक्ष की गलती के कारण न्याय की विफलता नहीं हो सकती है।

7. विरोधी पक्ष के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क विवाद में नहीं है और यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ी गई कमी को भरने के लिए ऐसी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा।

8. यह और भी स्पष्ट है कि न्यायालयों को मुकदमे में एक भागीदार की भूमिका निभानी होती है। उनसे यह अपेक्षित नहीं है कि वे गवाहों द्वारा कहे गए हर शब्द को रिकॉर्ड करने वाले टेप रिकॉर्डर बनें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 न्यायालय के अध्यक्ष अधिकारियों को साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर सभी आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए व्यापक और विशाल शक्तियाँ प्रदान करती हैं। उन्हें न्याय की सहायता में कार्यवाही की निगरानी करनी होती है ताकि कोई अप्रासंगिक बात अनावश्यक रूप से रिकॉर्ड में न लाई जाए। यदि अभियोजक कुछ मामलों में लापरवाह होते हैं, तो न्यायालय प्रभावी रूप से कार्यवाही को नियंत्रित कर सकता है ताकि अंतिम उद्देश्य, अर्थात्

सत्य तक पहुँचा जा सके, जो कि मुकदमे का मूल उद्देश्य है। हाल ही में, इस मामले के पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **वर्षा गर्ग बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में विचार किया, जो **2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 986** में रिपोर्ट किया गया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 43 से 53 यहाँ नीचे उद्धृत किए गए हैं:

> *"43. धारा 311 की आवश्यकताओं की संतोषजनक पूर्ति के बाद, हम प्रतिवादियों के उस आपत्ति पर विचार करते हैं कि आवेदन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे अभियोजन के मामले में कमी को भरने का परिणाम होगा। हालाँकि, यह कारण धारा 311 के तहत आवेदन को अनुमति देने में एक पूर्ण रोक नहीं हो सकता।*
> *44. ज़हीरा हबीबुल्ला शेख)5) बनाम गुजरात राज्य26 के निर्णय में, जिसे हाल ही में गोदरेज पैसिफिक टेकलिमिटेड बनाम कंप्यूटर जॉइंट . इंडिया लिमिटेड27 में दोहराया गया था, न्यायालय ने इस आपत्ति पर विशेष रूप से विचार किया और यह अवलोकन किया कि धारा 311 के तहत आवेदन को अनुमति देने के कारण उत्पन्न होने वाली कमियों का भरना केवल एक सहायक कारक है और न्यायालय द्वारा आवेदन का निर्धारण केवल साक्ष्य की आवश्यकताओं के परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। इसने यह नोट किया कि":*
> *28. न्यायालय को संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन या बचाव पक्ष को किसी विशेष गवाह या गवाहों का परीक्षण करने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है। यह पक्षों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय, न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दे सकता है कि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, और एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है। न्यायालय अक्सर पक्षों द्वारा किए गए अवरोधित आरोपों या साक्ष्य में उजागर तथ्यों से निष्कर्षों पर निर्भर करेगा। ऐसे मामलों में, न्यायालय को धारा के दूसरे भाग के तहत कार्य करना होगा। कभी-कभी, न्यायालय द्वारा निर्देशित गवाहों का परीक्षण "कमियों को भरने" के रूप में देखा जा सकता है। यह पूरी तरह से एक सहायक कारक है और इसे ध्यान में नहीं लिया जा सकता। नए साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं, यह निश्चित रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, और इसे अध्यक्ष न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। (उल्लेखित किया गया)*
>
> ***45.** अभियुक्त के निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। हालाँकि, मीना ललिता बरुवा में (उपरोक्त), राजेंद्र प्रसाद को दोहराते हुए (उपरोक्त), अदालत ने देखा कि यह आपराधिक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियोजन पक्ष को न्याय के हित में एक त्रुटि को सुधारने की अनुमति दे। राजेंद्र प्रसाद में (उपरोक्त), अदालत ने कहा कि:*
>
> *8. अभियोजन में कमी को अभियोजन मामले के ढांचे में अंतर्निहित कमजोरी या एक छिपी हुई दरार के रूप में समझा जाना चाहिए।*

इसका लाभ सामान्यतः मामले की सुनवाई में अभियुक्त को मिलना चाहिए, लेकिन अभियोजन के प्रबंधन में कोई चूक को अपरिवर्तनीय कमी के रूप में नहीं माना जा सकता। किसी भी पक्ष को एक सुनवाई में त्रुटियों को सुधारने से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या किसी अनजाने में प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई, तो अदालत को ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति देने में उदार होना चाहिए। आखिरकार, आपराधिक न्यायालय का कार्य आपराधिक न्याय का प्रशासन करना है, न कि पक्षों द्वारा की गई त्रुटियों की गिनती करना या यह पता लगाना और घोषित करना कि पक्षों में से किसने बेहतर प्रदर्शन किया।
(जोर दिया गया)

46. वर्तमान मामले में, पीडब्लू -41 की जांच में डिकोडिंग रजिस्टरों के महत्व को उठाया गया। तदनुसार, डिकोडिंग रजिस्टर केवल अतिरिक्त दस्तावेज हैं जो मौजूदा साक्ष्य को समझने के लिए आवश्यक हैं, जो कॉल विवरण के रूप में पहले से रिकॉर्ड पर हैं लेकिन अभियुक्त के स्थान को दर्शाने के लिए कोड का उपयोग करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विवरण है, जिसे केवल डिकोडिंग रजिस्टरों के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है। इसलिए, अभियुक्त के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार को नुकसान नहीं पहुँचता है। डिकोडिंग रजिस्टरों का उत्पादन प्रासंगिक सामग्री की आवश्यकता में फिट बैठता है, जो किसी अनजाने में रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी।

47. अंत में, हम इस बात पर भी संक्षेप में चर्चा करते हैं कि उत्तरदाताओं द्वारा धारा 311 के तहत आवेदन दायर करने के चरण पर क्या आपत्ति है। उत्तरदाताओं ने स्वपन कुमार (उपरोक्त) पर भरोसा किया है, जो इस न्यायालय का दो न्यायाधीशों का पीठ निर्णय है, यह तर्क करने के लिए कि आवेदन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक विलंबित चरण में किया गया है। स्वपन कुमार (उपरोक्त) में अदालत ने पाया: —

11. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग अदालत को केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। यह शक्ति केवल मजबूत और वैध कारणों के लिए प्रयोग की जानी चाहिए और इसे बहुत सावधानी और विवेक के साथ लागू किया जाना चाहिए। अदालत के पास इस धारा के तहत गवाहों को पुनः परीक्षा या आगे की परीक्षा के लिए बुलाने की व्यापक शक्ति है, जो न्याय के हित में आवश्यक है, लेकिन इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। यदि अदालत का विचार है कि आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके दायर किया गया है, तो इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

12. जहाँ अभियोजन का साक्ष्य काफी समय पहले समाप्त हो चुका है और गवाह की पूर्व में न परीक्षा लेने के कारण संतोषजनक नहीं हैं, वहाँ विलंबित चरण में गवाह को बुलाना अभियुक्त के लिए बड़ा नुकसान पैदा करेगा और इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, अदालत को इस प्रावधान के तहत गवाह को पुनः बुलाने के लिए लगातार आवेदन दायर करने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

48. वर्तमान अपील में, यह तर्क कि आवेदन अभियोजन के साक्ष्य के समाप्त होने के बाद दायर किया गया था, स्पष्ट रूप से गलत है। जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया गया है, अभियोजन के साक्ष्य का समापन उस समय हुआ जब डिकोडिंग रजिस्टर के उत्पादन और धारा 311 के तहत गवाह को बुलाने के लिए आवेदन को खारिज किया गया। हालांकि आवेदन के खारिज होने और अभियोजन के साक्ष्य के समापन दोनों की प्रक्रिया 13 नवंबर 2021 को हुई, अभियोजन द्वारा आवेदन 15 मार्च 2021 को लगभग आठ महीने पहले दायर किया गया था। वास्तव में, अभियोजन का एक अन्य गवाह, राजेश कुमार सिंह, को भी उसी दिन परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के बाद रिहा किया गया, जैसा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश दिनांक 13 नवंबर 2021 में दर्ज है।

49. अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत किसी भी सामग्री गवाह को किसी भी चरण में बुलाने और परीक्षा करने या पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा करने की व्यापक और समग्र शक्ति प्राप्त है, और अभियोजन के साक्ष्य का समापन एक निरपेक्ष बाधा नहीं है। इस अदालत ने ज़हीरा हबीबुल्ला एच. शेख (उपरोक्त) में अपील के चरण में धारा 391 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थनाओं के साथ-साथ धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गवाहों की परीक्षा के लिए प्रार्थना पर विचार करते हुए अदालत की भूमिका को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया: —

अदालतों को एक परीक्षण में भागीदार की भूमिका निभानी होती है। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे गवाहों द्वारा कहे जा रहे हर शब्द को रिकॉर्ड करने वाले टेप रिकॉर्डर बन जाएं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 न्यायालय के अध्यक्ष अधिकारियों को सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर प्राप्त करने के लिए व्यापक और विशाल शक्तियाँ प्रदान करती हैं। उन्हें न्याय के समर्थन में कार्यवाही की निगरानी करनी होती है ताकि कुछ भी, जो प्रासंगिक नहीं है, अनावश्यक रूप से रिकॉर्ड में न लाया जाए। यदि अभियोजक कुछ तरीकों से लापरवाह है, तो अदालत प्रभावी रूप से कार्यवाही को नियंत्रित कर सकती है ताकि अंतिम उद्देश्य, अर्थात् सत्य, प्राप्त किया जा सके। यह और भी आवश्यक हो जाता है जहाँ अदालत को विश्वास करने के कारण होते हैं कि अभियोजन एजेंसी या अभियोजक आवश्यक तरीके

से कार्य नहीं कर रहा है। अदालत को ऐसी गंभीर खामियों या अभियोजन एजेंसी की ओर से कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति अज्ञानता या बेख़ुदी का दिखावा नहीं करना चाहिए। जो अभियोजक निष्पक्षता से कार्य नहीं करता और अधिकतर बचाव पक्ष के वकील की तरह कार्य करता है, वह न्यायिक प्रणाली के लिए एक बोझ होता है, और अदालतें ऐसी अभियोजन एजेंसी के हाथों में भी नहीं खेल सकतीं जो उदासीनता दिखाती है या पूर्ण रूप से अलगाव का रवैया अपनाती है।
(जोर दिया गया)

50."इसके अलावा, ज़हीरा हबीबुल्ला शेख)5) (उपरोक्त (में, न्यायालय ने धारा 311 के तहत शक्तियों की सीमा को दोहराया और कहा कि":

27. भारतीय दंड संहिता की धारा 311 का उद्देश्य यह है कि किसी भी पक्ष द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य को रिकॉर्ड में लाने में या गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने के कारण न्याय का पतन न हो। निर्णायक कारक यह है कि क्या यह मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक है। यह धारा केवल आरोपी के लाभ के लिए सीमित नहीं है, और यदि साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है और आरोपी के मामले का नहीं, तो अदालत की शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं होगा कि वह इस धारा के तहत किसी गवाह को सम्मनित करे। यह धारा एक सामान्य धारा है जो कोड के तहत सभी कार्यवाहियों, जांचों और मुकदमों पर लागू होती है और मजिस्ट्रेट को ऐसे कार्यवाही, मुकदमे या जांच के किसी भी चरण में किसी भी गवाह को सम्मन जारी करने का अधिकार देती है। धारा 311 में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "इस कोड के तहत किसी भी जांच या मुकदमे या अन्य प्रक्रिया के किसी भी चरण में" होती है। हालांकि, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जबकि यह धारा अदालत को गवाहों को सम्मनित करने की बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करती है, दी गई विवेकाधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी व्यापक शक्ति होगी, न्यायिक मन की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। (जोर दिया गया)

51. न्यायालय ने मोहनलाल शमजी सोनी में स्पष्ट किए गए (उपरोक्त) सिद्धांत को दोहराते हुए धारा311 के व्यापक दायरे पर जोर दिया, जो किसी भी चरण में शक्तियों के प्रयोग की अनुमति देती है और कहा कि:

44. साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अदालत की शक्ति, एक तरह से, कोड की धारा 311 के तहत उसकी शक्ति के पूरक है। यह धारा दो भागों में बंटी हुई है) :i) अदालत को किसी भी चरण में गवाह को परीक्षा करने का विवेक देने वाला भाग, और)ii) अनिवार्य भाग जो अदालत को बाध्य करता है कि यदि गवाह का साक्ष्य अदालत के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, तो उसे गवाह की

परीक्षा करनी चाहिए। हालांकि अदालत को दिया गया विवेक बहुत व्यापक है, लेकिन इसी व्यापकता को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मोहनलाल बनाम भारत संघ में, इस न्यायालय ने धारा 311 के दायरे और क्षेत्र पर विचार करते हुए देखा कि किसी भी " "अदालत, "किसी भी चरण में", "किसी भी जांच या मुकदमे या अन्य प्रक्रिया", "किसी व्यक्तिजैसे शब्दों का "ऐसे किसी व्यक्ति" और " उपयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह धारा सबसे व्यापक रूप से व्यक्त की गई है और अदालत के विवेक को किसी भी तरह से सीमित नहीं करती। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसी व्यापकता को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए और इसे न्यायिक विवेक के साथ और कोड के प्रावधानों के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। धारा का दूसरा भाग कोई विवेक नहीं देता बल्कि अदालत को बाध्य करता है कि यदि प्राप्त किया जाने वाला नया साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक है, तो उसे आवश्यक कदम उठाने चाहिए। एक "आवश्यक" सक्रिय और सजग मन के लिए होता है न कि एक ऐसे मन के लिए जो छोड़ने या त्यागने की प्रवृत्ति रखता हो। इस धारा का उद्देश्य अदालत को सत्य तक पहुँचने में सक्षम बनाना है, भले ही अभियोजन या बचाव ने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता दिखाई हो जो मामले के न्यायपूर्ण और उचित निपटान के लिए आवश्यक हो। यह शक्ति तब प्रयोग की जाती है और साक्ष्य की परीक्षा की जाती है जब अदालत महसूस करती है कि धारा 311 के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है, न कि अभियोजन या बचाव की सहायता करने के लिए, बल्कि केवल न्याय और सार्वजनिक हित की सेवा करने के लिए। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण निर्णय में सहायता करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करना और सत्य को बनाए रखना है।
(जोर दिया गया(

52. इस न्यायालय ने कर्नेल सिंह बनाम राज्य मध्य प्रदेश, पारस यादव बनाम राज्य बिहार, राम बिहारी यादव बनाम राज्य बिहार और अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह में दिए गए निर्णयों को दोहराते हुए कहा कि अदालत अपील के चरण में भी हस्तक्षेप कर सकती है:

64. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों को निचली अदालत द्वारा बरी किया गया है और इस बरीकरण को बरकरार रखा गया है, लेकिन यदि यह बरीकरण अनुचित है और दूषित साक्ष्यों, तैयार की गई जांच, अनैतिक अभियोजक और औपचारिक मुकदमे और धमकी/डराए गए गवाहों के साक्ष्य पर आधारित है, तो यह कानून की दृष्टि में कोई बरीकरण नहीं है और इसे तथाकथित निष्कर्षों को कोई पवित्रता या विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती। यह सत्य का एक मजाक प्रतीत होता

है, कानूनी प्रक्रिया पर धोखा और अदालतों के परिणामस्वरूप निर्णय — कोरम नॉन जूडिस और नॉन एस्ट। इसलिए, इन अपीलों में हस्तक्षेप करने के लिए हर प्रकार का औचित्य है।

53. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय जो अपील में विवादित है, अस्थिर है। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और विभिन्न मामलों में 8 अप्रैल 2022 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर देते हैं। आपराधिक मामला संख्या 57152/2021 के साथ-साथ द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इंदौर का आदेश दिनांक 13 नवंबर 2021 को सत्र परीक्षण 227/2016 में अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए। डिकोडिंग रजिस्टरों को पेश करने और सेलुलर 28 (1995) 5 एस. सी. सी. 518 29 (1999) 2 एस.सी.सी. 126 30 (1998) 4 एस.सी.सी. 517 31 (2003) 2 एस.सी.सी. 518 27 कंपनियों के गवाहों को बुलाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन की अनुमति है। दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इंदौर को 31 अक्टूबर 2022 तक सत्र परीक्षण संख्या 227/2016 को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

9. इस मामले में, याचिकाकर्ता-सीबीआई द्वारा धारा 311 के तहत दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। **राजेंद्र प्रसाद बनाम नारकोटिक्स सेल के मामले में, [(1999) 6 एससीसी 110]**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नलिखित कहा है:

"8. अभियोजन में कमी को अभियोजन मामले के ताने-बाने में अंतर्निहित कमजोरी या एक छिपी हुई दरार के रूप में समझा जाना चाहिए। इसका लाभ सामान्यतः मामले की सुनवाई में आरोपी को मिलना चाहिए, लेकिन अभियोजन के प्रबंधन में किसी चूक को अपरिवर्तनीय कमी के रूप में नहीं माना जा सकता। किसी भी पक्ष को मुकदमे में गलतियों को सुधारने से नहीं रोका जा सकता। यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या किसी भी अनजाने में प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई, तो अदालत को ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति देने में उदार होना चाहिए। आखिरकार, आपराधिक अदालत का कार्य आपराधिक न्याय का प्रशासन करना है, न कि पक्षों द्वारा की गई गलतियों की गिनती करना या यह पता लगाना और घोषित करना कि पक्षों में से किसने बेहतर प्रदर्शन किया।"

10. उपरोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या किसी भी अनजाने में प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई, तो अदालत को ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति देने में उदार होना चाहिए। इस निर्णय के अंश का यह भाग स्वयं यह संकेत करता है कि धारा 311 सीआरपीसी में गवाहों की परीक्षा करने और उन प्रासंगिक सामग्रियों को स्वीकार करने की शक्ति शामिल है जो रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थीं। इस दृष्टिकोण का समर्थन सीआरपीसी की धारा 91 भी करती है, जो अदालत को किसी भी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ के उत्पादन के लिए निर्देश देने का अधिकार देती है, जो

जांच, पूछताछ या सीआरपीसी के तहत अन्य प्रक्रिया के लिए आवश्यक या वांछनीय है। आपराधिक अदालत का कर्तव्य है कि वह अभियोजन को न्याय के हित में एक त्रुटि को सुधारने की अनुमति दे और सत्य का पता लगाए।

11. उपरोक्त तथ्यों, कारणों और विश्लेषण को देखते हुए, 19.06.2023 की आदेश, जहां तक पी.डब्लू 19 और 20 को पुनः बुलाने के संबंध में खारिज करने का सवाल है, उसे रद्द किया जाता है। उक्त आदेश द्वारा, माननीय न्यायालय ने पहले ही आइ.ओ की परीक्षा के लिए समय दिया है, हालाँकि 23.06.2023 की विवादित आदेश द्वारा, सीबीआइ द्वारा मांगा गया अतिरिक्त तीन सप्ताह का समय खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, आइ.ओ की परीक्षा के संबंध में आदेश पहले से ही याचिकाकर्ता-सीबीआइ के पक्ष में 19.06.2023 के आदेश में है। इसे देखते हुए, 23.06.2023 का आदेश भी रद्द किया जाता है। माननीय न्यायालय पी.डब्लू. 19 और 20 तथा आइ.ओ की परीक्षा सीबीआइ द्वारा 03.01.2024 से 05.01.2024 के बीच तीन दिनों के भीतर अनुमति देगा। यदि सीबीआइ उपरोक्त न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इन गवाहों की परीक्षा करने में विफल रहती है, तो माननीय न्यायालय सीबीआइ को आगे का समय नहीं देगा और न्यायालय कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

12. तदनुसार, इस याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

(श्री संजय कुमार द्विवेदी, न्यायधीश)

अजय/ए.एफ.आर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|